

मांग संख्या 81
मुख्य शीर्ष 2235

मद कर्मांक 1

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का विस्तार कर गरीबी रेखा के नीचे सभी परिवारों के 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी सदस्यों को पेंशन का लाभ दिये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनांतर्गत राज्यांश में वृद्धि होने के कारण शहरी क्षेत्र में इस पर रूपये 200.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद कर्मांक 2

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का विस्तार कर गरीबी रेखा के नीचे सभी परिवारों के 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी सदस्यों को पेंशन का लाभ दिये जाने का निर्णय लिया गया है। शहरी क्षेत्र में इस पर रूपये 400.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 4,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3604

मद कर्मांक 3

राज्य शासन को प्रवेश कर से प्राप्त आगम के बराबर शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान राशि पर रूपये 5000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।